

परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या : 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 चार लेन/2015-16/17878 दिनांक : 16.05.2015 के अनुसार "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापक में फार्म 11

ग्राम-बाभनपुर, परगना - चौंदा, तहसील - लम्भुआ, जनपद- सुलतानपुर

क्र० सं०	खातासं०	कास्तकार / भू-स्वामी का नाम व पता	सर्वेक्षण/ गाटा सं०	अर्जित रकबा (हे० में)	अर्जित भूमि का मूल्य 15400000.00 प्रति हे० की दर से (दर X रकबा)	भू०आ०अधि० की धारा 30(2) की प्रथम अनुसूचि के तहत ग्रामीण क्षेत्र का दो गुना अर्थात् कालम 5X2	परसम्पत्तियों का विवरण		कालम 5+ 7+ 8 का योग	नये भू-अर्जन अधि० की धारा 30(2) के तहत 12% अति० क्षतिपूर्ण की धनराशि कालम 9 पर दिनांक 23.10.2012 से 21.04.2015 तक कुल 909 दिन पर 29.884931%	नये भू०अ०अ० की धारा 30(1) के तहत 100 प्रति० सोले० की धनराशि कालम (6+ 7+8 पर)	कुल देय प्रतिकर की धनराशि कालम (6+7+8+10+11) का योग	प्रतिकर की पूर्णकित धनराशि	वितरण का दिनांक	अधिकारी के हस्ताक्षर
							संरचना का मूल्य	वृक्ष का मूल्य							
	1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
1	94	लाल बहादुर पुत्र सहदेव नि०ग्रा०।	30	0.0080	123200	246400			123200	36818	246400	529618			
योग				0.0080	123200	246400	0	0	123200	36818	246400	529618			

अपर उप जिलाधिकारी सदर  
सुलतानपुर